संख्या-14/2024/001-998-1-22-4-2023-1776853

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 15 फरवरी, 2024

विषय:- वित्तीय वर्ष-2023-24 में पुनर्विनियोग के माध्याम से धनराशि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-31920/उद्योग-1/बजट/2023-24, दिनांक 27-10-2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2023-24 में गृह विभाग (कारागार) के अनुदान संख्या-25 के राजस्व लेखाशीर्षक-2056 के लघुशीर्ष 101-03-समस्त कारागार के मानक मद 01-वेतन में उपलब्ध बचत रू0 600.00 लाख से समलघुशीर्ष 102-03-समस्त कारागार के संगत मद 43- सामग्री सम्पूर्ति मद में रू0 600.00 लाख की अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था पुनर्विनियोग के माध्यम से कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 27-10-2023 के माध्यम से प्राप्त पुनर्विनियोग प्रस्ताव पर कतिपय शर्तो के अधीन रू0 500.00 लाख की धनराशि पुनर्विनियोजित की गयी है, जिसे संलग्नकर नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है:-

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
025	2056001010300 (समस्त कारागार)	01 (वेतन)	5,00,52,59,000 रुपये पांच अरब बावन लाख उनसठ हजार मात्र	7,02,00,000 रुपये सात करोड़ दो लाख मात्र	6,00,00,000 रुपये छह करोड़ मात्र	5,00,00,000 रुपये पांच करोड़ मात्र	4,95,52,59,000 रुपये चार अरब पंचानबे करोड़ बावन लाख उनसठ हजार मात्र	2023-2024
कुल					₹ 6,00,00,000	₹ 5,00,00,000		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
025	2056001020300 (समस्त कारागार)	43 (सामग्री एवं सम्पूर्ति)	7,00,00,000 रुपये सात करोड़ मात्र	6,00,00,000 रुपये छह करोड़ मात्र	5,00,00,000 रुपये पांच करोड़ मात्र	12,00,00,000 रुपये बारह करोड़ मात्र	2023-2024
कुल				₹ 6,00,00,000	₹ 5,00,00,000		

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में वर्तमान वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नही की जाएगी।

(2) पुनर्विनियोग की जाने वाली धनराशि का सदुपयोग उसी वित्तीय वर्ष में एवं उसी कार्य के लिये किया जायेगा।

(3) पुनर्विनियोग मात्र बजट की उपलब्धता हेतु सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रश्नगत कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत किये जाने के विषय में प्र0वि0 समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए औचित्य का परीक्षण कर लेंगे।

(4) पुनर्विनियोग की जाने वाली धनराशि का सदुपयोग वित्तीय वर्ष में न करने और उसके फलस्वरूप होने वाले आडिट आपत्ति हेतु प्र0वि0 उत्तरदायी होंगे।

(5) प्र0वि0 द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पुनर्विनियोग से उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 एवं 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नही होगा।

(6) प्रश्नगत धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2024 तक कर लिया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 5,00,00,000 (रुपये पांच करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 025 **लेखा शीर्षक** 2056001020300 समस्त कारागार **मानक मद** 43 सामग्री एवं सम्पूर्ति के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-14/2024/001-998-1-22-4-2023-1776853, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल-आडिट) उ0प्र0 प्रयागराज।

(2) पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।

(3) वित्त नियंत्रक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।

(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(5) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

(6) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12

(7) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो प्रतियों में)

(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।